

दिनांक

09/09/25

फर्द अहकाम

मु0नं0 58/2024

उनवान:- माफी मंदिर श्री सीताराम बनाम घनश्याम बगै0

वकील उभयपक्षकारान उपस्थित। अप्रार्थी वकील श्री सुनील कुमार जिंदल एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जाब्ता दीवानी का इस संक्षेप में इस प्रकार है। सायलान द्वारा आम जनता ग्राम उरदैन की तरफ से वादग्रस्त भूमि मुतजिका मद नं0 1 प्रार्थना पत्र जो ग्राम उरदैन में स्थित है। बाबत प्रार्थना प्रस्तुत किया है। जबकि कानूनन सायलान ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व आदेश 01 नियम 8 जाब्ता दीवानी के अनुसार न्यायालय से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं ली और ना ही सायलान ने हरखास आम को नोटिस जारी किया गया है। क्यों कि वादग्रस्त भूमि में आम जनता के हित निहित हैं। इसीलिए कानूनन सायल द्वारा आदेश 01 नियम 08 की पालना किये बिना सायलान सायल का प्रार्थना पत्र बार्ड वाई ला होने की श्रेणी में आता है। इसीलिए सायल का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। सायल द्वारा केवल 3 व्यक्ति ग्राम उरदैन कि वासी होना ही बताये गये हैं। जबकि ग्राम उरदैन में अलग-अलग जातियों के 5-6 हजार आबादी है। केवल 3 व्यक्ति ग्रामवासी बनकर प्रार्थना पत्र पेश करने का कानूनी अधिकार नहीं है। सायल का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

सायल ने अपने प्रार्थना पत्र में मद नम्बर 11 के दादरसी के उप मद (क) में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को नल एण्ड बाईड कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जबकि कानूनन रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को नल एण्ड बाईड निरस्त करने का अधिकार केवल सिविल न्यायालय को है। इसलिए सायलान का प्रार्थना पत्र बार्ड बाई ला होने से सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सायलान का प्रार्थना पत्र बार्ड बाई ला होने से खारिज करने की कृपा करें। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी की नकल प्रार्थी वकील को दिलाई गई।

प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी का जबाव इस प्रकार पेश किया है। सायलान द्वारा जिस प्रकार पेश किया है। सायलान द्वारा जिस आराजी के बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो पूर्व में ही माफी श्री सीताराम के नाम थी जो गलत रूप से गैर सायलान अपने नाम करवाली गई है। विवादित भूमि देवताओं के नाम की होती है। जो हमेशा अवश्यक रहते हैं। तथा मूर्ति मन्दिर की आराजी की रक्षा एवं सुरक्षा हेतु ही उक्त वाद सायलान की ओर से दावा लाया गया है। मंदिर की ओर से दावा लाने की हरखास आम को नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। ना ही प्रार्थना पत्र दायर करने से पूर्व किसी भी प्रकार अनुमति की आवश्यकता नहीं है। और ना ही प्रार्थना पत्र किसी प्रकार बार्ड बाई ला की श्रेणी में आता है। गैर सायल मंदिर की मूर्ति को हडपना चाहते हैं।

गैर सायलान द्वारा उक्त मद में समस्त कथन एकदम गलत अंकित किये हैं। मंदिर की भूमि को सुरक्षित रखने के लिए कोई भी व्यक्ति प्रार्थना पत्र ला सकता है। सायलान द्वारा मूर्ति की सुरक्षा हेतु दावा लाये हैं। मंदिर की आराजी को बेचान करने का किसी को अधिकार नहीं है। प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई आधार नहीं है जिसके आधार पर भी प्रार्थना पत्र हाजा बार्ड वाई ला की तारीख में नहीं आता है। जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता सी.पी.सी मय खर्चा खारिज किया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी तथा बहस पर मनन किया तथा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 7 नियम 11 का अवलोकन किया जिसमें प्रतिवादीगण का कानूनी ऐतराज है कि वादीगण द्वारा उरदैन जरिये ग्रामवासी की हैसियत से मात्र 3 व्यक्तियों द्वारा स्वयं को ग्रामवासी बताते हुए मद दावा प्रस्तुत किया गया है। जबकि आम जनता की तरफ से यदि कोई न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जाता है तो कानूनन विवादित सम्पत्ति के संबंध में आम जनता हरखास आम को कानूनन आदेश 1 नियम 8 के प्रावधानों का पालन करना दीवानी प्रकिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार आज्ञापरक प्रावधान है। जो कि वादीगण द्वारा वादपत्र प्रस्तुत करते समय न्यायालय से वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त नहीं की ना ही वादीगण द्वारा आदेश 1 नियम 8 जाब्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो कि एक आज्ञापक प्रावधान है तथा वादीगण एक तरफ विवादित सम्पत्ति में आम जनता का हित निहित बताते हैं लेकिन वादीगण द्वारा ना तो आम जनता को विवादित

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

दिनांक	फर्द अहकाम
	<p>सम्पत्ति के संबंध में सुनवाई बाबत किसी प्रकार का नोटिस ही जारी करवाया है ना ही उस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया है जबकि आदेश 1 नियम 8 के उप नियम 1 (क) में यह स्पष्ट दर्ज किया है कि इस प्रकार हितबद्ध सभी व्यक्तियों की ओर से या उनके फायदे के लिए न्यायालय की अनुज्ञा से ऐसे व्यक्तियों में से एक या अधिक व्यक्ति वाद ला सकेंगे या उनके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा। या ऐसे वाद में प्रतिरक्षा कर सकेंगे। तथा आदेश 1 नियम 8 उप नियम 2 में भी स्पष्ट उल्लेख किया है कि न्यायालय ऐसे प्रत्येक मामले में जहां उप नियम (1) के अधीन अनुज्ञा या निर्देश दिया गया है कि इस प्रकार हितबद्ध सभी व्यक्तियों को वैयक्तिक तामील करवाकर या व्यक्तियों की संख्या या किसी अन्य कारण से ऐसी तामील युक्तियुक्त रूप से साध्य नहीं है जहां लोक विज्ञापन द्वारा जैसा भी न्यायालय हर एक मामले में निर्दिष्ट करें। वाद के संस्थित किये जाने की सूचना वादी के खर्चे पर देगा। हम अधिवक्ता प्रतिवादीगण की उक्त दलील से सहमत होते हुए कि यदि सार्वजनिक सम्पत्ति के संबंध में जिसके सभी हित निहित हो और आम जनता की तरफ से वाद दायर किया जाता है तो आम जनता को उक्त वाद दायर करते समय हरखास आम को नोटिस जारी करने व दावा दायर करने की न्यायालय से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है जो कि वादीगण द्वारा नहीं ली गई है। इसलिए वादीगण का वाद विधि द्वारा वर्जित होने से आदेश 7 नियम 11 की परिधि में आता है और वाद विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज होने योग्य है। वादी ने अपने जबाव के समर्थन में रूलिंग पेश की, जो शामिल पत्रावली की गई।</p> <p>मेरा इस संबंध में विनम्र मत यह भी है कि यदि विवादित सम्पत्ति में यदि आम जनता का हित निहित होता है तो ग्राम उरदैन की आबादी जो प्रतिवादीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में करीब 5-6 हजार अलग-अलग जातियों की आबादी होना बताया गया जबकि वादीगण द्वारा केवल 3 व्यक्ति द्वारा आम जनता बनकर के यह वाद प्रस्तुत किया है जो सीपीसी आदेश 1 नियम 8 उपनियम (1) (क) उपनियम (2) के विरुद्ध वाद दायर होना प्रतीत होता है। वादी द्वारा प्रस्तुत रूलिंग उक्त प्रकरण में पूर्णतया: लागू नहीं होती है। वादी मातमीदार व अन्य पूर्व में माफ़ी मंदिर का नहीं रहा। वादी द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को न्यायालय से खारिज करवाना चाहता है जबकि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को केवल सिविल न्यायालय ही निरस्त कर सकती है राजस्व न्यायालय को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त कर सकती है राजस्व न्यायालय को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार नहीं होने वाली बात से भी न्यायालय प्रतिवादीगण की बात से सहमत है। इसलिए भी वादीगण का वाद क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज कर अस्वीकार किया जाना प्रतीत होता है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण आदेश 7 नियम 11 (घ) जाप्ता दीवानी व खिलाफ वादीगण स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण का वाद विधि द्वारा वर्जित होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।</p> <p>आज यह निर्णय दिनांक 09/09/25 को खुले न्यायालय सुनाया गया।</p> <p><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिल्हा-करौली</p>